संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/NFSNM/Pulse Mission/237 दिनांक- 10/07/26

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत प्रदेश के चयनित जिलों में कुल 55 प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने हेतु अवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27) (संक्षिप्त)

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर घटक अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से ऑन-लाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। आवेदन करने हेतु किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति पात्र होंगे।

नोट:- FPO, CLF, PACS एवं अन्य उपक्रम जो कम से कम दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो एवं क्रियाशील होने की स्थिति में ही पात्र होगें एवं आवेदन उनके चयनित अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से मान्य किया जावेगा।

प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) प्रदेश के चयनित जिलों में स्थापित किया जाना है (परिशिष्ट-1)। पात्र हितग्राहियों को परियोजना प्रस्ताव अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) तथा भवन/गोदाम/भंडारण अद्योसंरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमि, विद्युत, मानव संसाधन आदि पर होने वाले व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह सहायता परियोजना लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा प्रति इकाई राशि रू. 25.00 लाख, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी।

भवन/गोदाम/भंडारण अद्योसंरचना के निर्माण हेतु देय सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा कुल पात्र सब्सिडी राशि का 30 प्रतिशत होगा। अर्थात्, परियोजना लागत के 33 प्रतिशत अथवा राशि रू. 25.00 लाख (जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित कुल पात्र सब्सिडी राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत ही भवन/गोदाम/भंडारण अवसंरचना निर्माण के लिए मान्य होगा। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों/पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), व्यक्ति, किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम को राशि रु 1,00,000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रू. 50,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिला उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नाम से बनाया जाना होगा। कुल 55 प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध रहेंगें । ऑनलाईन आवेदन के साथ घरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनाक 15 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पध्दति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	-	दिनांक 01 सितम्बर 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियॉ संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 01 सितम्बर 2026 को सांय 5:00 बजे से देखी जा सकेगी।)
3.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक- 04 से 05 सितम्बर 2026 तक समय- प्रात: 10:00 से सांय 6:00 तक

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी. किंतु यदि आवेदक प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने मे असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड

लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। एक से अधिक जिलों/ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन उपरांत आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित जिला उपसंचालक, कृषि कार्यालयों में किया जाएगा। विस्तृत विवरण संचालनालय को वेवसाईट (www.chc.mpdage.org) पर देखा जा सकता है।

Digitally signed by
Umashankar Bhargav
Date: 03-07-2026
13:36:36

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ NFSNM/PulseMission/236 **दिनांक-** 10/7/26

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत प्रदेश के चयनित जिलों में कुल 55 प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने हेतु अवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27) (विस्तृत)

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर घटक अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से ऑन-लाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। आवेदन करने हेतु किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति पात्र होंगे।

नोट:- FPO, CLF, PACS एवं अन्य उपक्रम जो कम से कम दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो एवं क्रियाशील होने की स्थिति में ही पात्र होगें एवं आवेदन उनके चयनित अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से मान्य किया जावेगा।

प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) प्रदेश के चयनित जिलों में स्थापित किया जाना है (परिशिष्ट-1)। पात्र हितग्राहियों को परियोजना प्रस्ताव अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) तथा भवन/गोदाम/भंडारण अद्योसंरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमि, विद्युत, मानव संसाधन आदि पर होने वाले व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह सहायता परियोजना लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा प्रति इकाई राशि रू. 25.00 लाख, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी।

भवन/गोदाम/भंडारण अद्योसंरचना के निर्माण हेतु देय सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा कुल पात्र सब्सिडी राशि का 30 प्रतिशत होगा। अर्थात्, परियोजना लागत के 33 प्रतिशत अथवा राशि रू. 25.00 लाख (जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित कुल पात्र सब्सिडी राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत ही भवन/गोदाम/भंडारण अवसंरचना निर्माण के लिए मान्य होगा। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों/पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), व्यक्ति, किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम को राशि रु 1,00,000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रू. 50,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिला उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नाम से बनाया जाना होगा। कुल 55 प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध रहेगें । ऑनलाईन आवेदन के साथ घरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनाक 15 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पध्दति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	-	दिनांक 01 सितम्बर 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियॉ संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 01 सितम्बर 2026 को सांय 5:00 बजे से देखी जा सकेगी।)
3.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं डिमाणड ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक- 04 से 05 सितम्बर 2026 तक समय- प्रातः 10:00 से सांय 6:00 तक

2. जिलों से संबधित उप संचालक कृषि कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाया जाना है।	जिला उपसंचालक, कृषि कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
1	सागर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सागर	पुराना कलेक्टोरेट परिसर सागर , संपर्क सूत्र-6269909601
2	खरगौन	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खरगौन	पुराना कलेक्टर परिसर खरगोन , संपर्क सूत्र-07282-232228
3	दमोह	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, दमोह	द्वितीय तल कलेक्टोरेट कार्यालय दमोह , संपर्क सूत्र-7812222018
4	विदिशा	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा	देहात थाना सिविल लाइन के पास विदिशा म.प्र , संपर्क सूत्र-07592-233153
5	रायसेन	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रायसेन	गर्ल्स कॉलेज के सामने, रायसेन , संपर्क सूत्र-07482-222039
6	नरसिंहपुर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नरसिंहपुर	कलेक्टोरेट परिसर नरसिंहपुर , संपर्क सूत्र-0779-2230364
7	जबलपुर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर	कलेक्टोरेट परिसर जबलपुर , संपर्क सूत्र-0761-2624359
8	छतरपुर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, छतरपुर	गुरुद्वारा महोबा रोड छतरपुर के पास , संपर्क सूत्र-07682-243206
9	पन्ना	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पन्ना	राम बाग रोड के पास पन्ना , संपर्क सूत्र-7732252060
10	हरदा	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, हरदा	खंडवा बायपास रोड हरदा , संपर्क सूत्र-07577-225610
11	नर्मदापुरम	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नर्मदापुरम	कोठी बाजार, जिला नर्मदापुरम , संपर्क सूत्र-07574-251003
12	खण्डवा	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खण्डवा	जसवाड़ी रोड जिला-खंडवा , संपर्क सूत्र-9753227839
13	धार	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, धार	कोर्ट रोड धार, जिला- धार , संपर्क सूत्र-07292-222285
14	अशोकनगर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि	तुलसी सरोवर पार्क आमरी रोड, अशोकनगर , संपर्क सूत्र-07543-022016

		विकास, अशोकनगर	
15	देवास	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, देवास	उप कार्यालय. संचालक किसान कल्याण एवं कृषि जिला देवास म.प्र. , संपर्क सूत्र-72722220060
16	बैतूल	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, बैतूल	कोठी बाज़ार बस स्टैंड क्षेत्र, बेतूल, जिला बेतूल , संपर्क सूत्र-7141299262
17	शिवपुरी	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, शिवपुरी	कलेक्टर कार्यालय, कोठी रोड, शिवपुरी , संपर्क सूत्र-07492-234378
18	बड़वानी	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, बड़वानी	आशा ग्राम रोड, त्रिवेनी मंदिर के पास, बड़वानी , संपर्क सूत्र-7290292915
19	सीहोर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सीहोर	पटेल पेट्रोल पंप के पीछे, सीहोर , संपर्क सूत्र-07562-224044
20	छिंदवाडा	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, छिंदवाडा	कलेक्टर कार्यालय परिसर, छिंदवाड़ा , संपर्क सूत्र-07162-247163
21	सिवनी	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सिवनी	कलेक्टर कार्यालय परिसर, सिवनी , संपर्क सूत्र-07692-220509
22	डिण्डोरी	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, डिण्डोरी	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला डिण्डोरी , संपर्क सूत्र-07644-234058
23	गुना	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, गुना	एलआईसी कार्यालय के पीछे, बीज निगम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने, एबी रोड, गुना , संपर्क सूत्र-07542-252713
24	मंदसौर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंदसौर	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला मंदसौर , संपर्क सूत्र-07422-241452
25	मण्डला	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मण्डला	चिलमन चौक, मंडला , संपर्क सूत्र-07642-250728
26	कटनी	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कटनी	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला कटनी , संपर्क सूत्र-07622-221982
27	नीमच	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नीमच	कमरा संख्या 60, कलेक्टर कार्यालय परिसर, कलेक्टर भवन, नीमच , संपर्क सूत्र-07423-230209
28	राजगढ़	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़	एसपी कार्यालय के सामने, राजगढ़ , संपर्क सूत्र-07372-255059
29	टीकमगढ़	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, टीकमगढ़	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला टीकमगढ , संपर्क सूत्र-07683-242346
30	बालाघाट	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि	कलेक्टर कार्यालय की पहली मंजिल, बालाघाट , संपर्क सूत्र-07632-241355

		विकास, बालाघाट	
31	अनूपपुर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, अनूपपुर	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला अनूपपुर , संपर्क सूत्र-07652-22349
32	अलीराजपुर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, अलीराजपुर	सरकारी सिटी अस्पताल के पास, दाहोद रोड, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश , संपर्क सूत्र-07394-234144
33	सतना	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सतना	सिविल लाइन, सतना (मध्य प्रदेश) , संपर्क सूत्र-07672-223227
34	बुरहानपुर	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, बुरहानपुर	संयुक्त कलेक्टर कार्यालय, कमरा संख्या 57, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर , संपर्क सूत्र-7325241752
35	उमरिया	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उमरिया	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला उमरिया , संपर्क सूत्र-07653-222769
36	रीवा	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रीवा	ए-ब्लॉक, तीसरी मंजिल, शिल्पी प्लाजा, हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश , संपर्क सूत्र-07662-299051
37	दतिया	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, दतिया	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला दतिया , संपर्क सूत्र-07522-234582

1. एक ग्राम में केवल एक प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) तथा एक परिवार को केवल एक इकाई स्वीकृत की जाएगी।
2. बैंक ऋण के आधार पर प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग इकाई (दाल मिल) स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
3. स्वीकृत ऋण को 4 वर्ष की लॉक-इन अवधि से पूर्व पूर्णतः चुकाया नहीं जा सकेगा।
4. लॉक-इन अवधि के दौरान ऋण का पूर्ण भुगतान किए जाने पर हितग्राही अनुदान हेतु पात्र नहीं रहेगा। उक्त स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रदाय अनुदान राशि बैंक द्वारा राज्य शासन को वापिस की जावेगी।
5. योजना अवधि के दौरान यूनिट का विक्रय, हस्तांतरण अथवा अन्य संस्था/व्यक्ति को गिरवी रखना प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
6. जिले हेतु उपयुकत पाये गये ऑन-लाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।
7. प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) को क्रय कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय में पंजीकृत निर्माताओं, उनके अधिकृत विक्रेताओं से किया जा सकेगा। पंजीकृत निर्माताओं की सूची कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के डीबीटी पोर्टल की वेबसाईट www.dbt.mpdage.org पर उपलब्ध है।

अथवा

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत चयनित आवेदक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता वाली नई दलहन प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट (दाल मिल) की स्थापना हेतु सभी मशीनरी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अथवा समकक्ष गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो का स्वयं क्रय कर सकता है। साथ ही उक्त क्रय मशीनरी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अथवा समकक्ष गुणवत्ता मानकों के अनुरूप की सत्यता की जांच अनुदान भुगतान प्रक्रिया से पूर्व दलहन जिला संचालन समिति (DSCP) द्वारा किया जाना होगा।

8. पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम एवं व्यक्तिगत आवेदक की लॉटरी एक ही श्रेणी में की जायेगी। लॉटरी उपरांत निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुक्रम में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम को व्यक्तिगत आवेदको से पहले प्राथमिकता दी जायेगी। (यदि व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक योजना में सम्मिलित होते है।)

9. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित उपसंचालक, कृषि कार्यालय में दिनाक 20-21 अगस्त 2026 कार्यालयीन दिवसो में प्रातः 10:00 से साय 06:00 तक किया जायेगा। उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेख का सत्यापन किया जावेगा। अन्य आवेदकों प्राथमिकता सूची के क्रम में को भविष्य में सूचना देकर बुलाया जायेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनु जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, 12वीं उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे। किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), व्यक्ति, किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोडयूर ऑर्गनाईजेशन (एफपीओ) को उनसे संबंधित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होंगे। अभिलेख अथवा मूल बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर उन आवेदकों को प्राथमिकता सूची के निर्धारण की लाटरी प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा।

10. योजना के अंतर्गत आवेदकों द्वारा स्थापित **दाल मिल (प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स)** के भौतिक सत्यापन उपरांत धरोहर राशि आवेदकों को लौटाई जा सकेंगी, किंतु यदि आवेदक **दाल मिल (प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स)** स्थापित करने में रुचि नहीं लेता है अथवा दाल मिल (प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स) स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

11. जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑनलाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित जिले के उपसंचालक, कृषि कार्यालय में उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक/दिनांकों को किया जायेगा। सूचियों में प्राथमिकता का निर्धारण लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। लॉटरी निकालने का कार्य सबके समक्ष किया जायेगा अतः यदि कोई आवेदक उस प्रकिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनांक को उप संचालक, कृषि कार्यालय में उपस्थित रह सकता है। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार **दाल मिल (प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स) स्थापित करने** के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।

12. जिले में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक 25 अगस्त 2026 को उपसंचालक, कृषि कार्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।

13. लॉटरी से चयनित पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम

एवं व्यक्तिगत आवेदक को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए प्रोजेक्ट, संबंधित उपसंचालक, कृषि कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी **10 दिवस** में प्रस्तुत किये जाने होंगे। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये District Steering Committee on Pulses (DSCP) द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत अपने मार्गदर्शन में आवेदकों से आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फण्ड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी दी जाती है। यह दोनों सहायता दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग इकाई (दाल मिल)के प्रोजेक्ट पर प्राप्त होने वाले अनुदान का 33% या राशि रू. 25.00 लाख प्रति प्रोजेक्ट के अतिरिक्त है। भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फण्ड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी यदि भारत सरकार से एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फण्ड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदकों को केवल दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग इकाई (दाल मिल) पर प्राप्त होने वाला अनुदान ही देय होगा।

आवेदकों के प्रकरण उपसंचालक, कृषि द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने / भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर उपसंचालक, कृषि कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। **प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट (दाल मिल) स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को ''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy)'' के रूप में अनुदान का भुगतान किया जायेगा।**

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता में से, 50% सब्सिडी मशीनरी लगाने पर एवं शेष 50% सब्सिडी प्रोजेक्ट के सफल संचालन पर जारी की जाएगी।

योजना अंतर्गत अन्य नियम एवं शर्तो हेतु भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, दलहन मिशन के पत्र क्रमांक/ F.No. 2-1/2025-PM-167719 द्वारा जारी Standard Operating procedure (SOP) का पालन किया जावे (परिशिष्ट-2)।

Digitally signed by
Umashankar Bhargav
Date: 03-07-2026
13:34:05

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल